



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275540
CG-DL-E-18082026-275540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4363]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4543(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्यांक का. आ. 3847 (अ), तारीख 09 सितम्बर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (3) तथा (4) के परंतुकों, धारा 11 की उपधारा (4) और (5) के परंतुकों तथा धारा 11घ एवं खनिज (नीलामी) नियम, 2015, के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियां श्री कदम संदीप वसंत, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा भी प्रयोग करने योग्य होंगी।

2. उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से उक्त अधिकारी को "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" के रूप में जाना जाएगा।

3. उक्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले लिखित निर्देश से बाध्य होगा।

[फा. सं. एम. VI—1/3/2023-खान-VI]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4543(E).—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Mines, published in the Gazette of India, vide number S.O. 3847(E), dated 09th September, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the powers of the Central Government under the provisos to sub-sections (3) and (4) of section 10B, the provisos to sub-sections (4) and (5) of section 11 and section 11D of the said Act and under the Mineral (Auction) Rules, 2015, shall also be exercisable by Shri Kadam Sandeep Vasant, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Mines.

2. For the purposes of exercising the above said powers, the said officer shall be known as the "Designated Officer".

3. The said officer shall be bound by the written directions as may be given by the Central Government from time to time.

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.